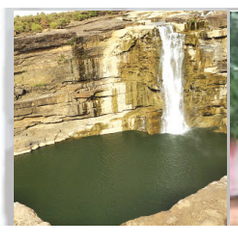

नवभारत 09
सतना, शनिवार, 04 जुलाई 2026

तनाव मुक्त जीवन के लिए आध्यात्मिक चिंतन एवं राजयोग अपनाएं : संजय

सात्विक भोजन, श्रेष्ठ विचार और परमात्मा की याद मानसिक संतुलन के प्रमुख आधार हैं

नवभारत न्यूज

मऊगंज, 3 जुलाई, वर्तमान समय की व्यस्त जीवनशैली में मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और आत्मचिंतन अत्यंत आवश्यक हैं. राजयोग मेडिटेशन एवं आध्यात्मिक जीवनशैली व्यक्ति को तनावमुक्त, संतुलित एवं प्रभावी जीवन जीने की प्रेरणा देती है.

कलेक्टर संजय कुमार जैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय, उप सेवाकेंद्र मऊगंज द्वारा आयोजित 'तनावमुक्त खुशहाल जीवन एवं अध्यात्म से व्यक्तित्व का विकास' विषयक आध्यात्मिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कही. कलेक्टर

ने कहा कि प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन एवं परमात्मा की स्मृति के लिए निकालने से कार्यक्षमता, निर्णय क्षमता और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है. उन्होंने ब्रह्माकुमारीज़ द्वारा आयोजित इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित होने चाहिए. कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माउंट आबू से आए बीके राजू ने राजयोग मेडिटेशन, आत्मबोध और सकारात्मक चिंतन के माध्यम से तनावमुक्त एवं खुशहाल जीवन के व्यावहारिक सूत्र बताए. उन्होंने कहा कि स्वयं को शरीर नहीं बल्कि शांत एवं शक्तिशाली आत्मा के रूप में पहचानने से जीवन में स्थायी सुख और शांति का अनुभव होता है. सात्विक भोजन, श्रेष्ठ विचार और परमात्मा की याद मानसिक संतुलन के प्रमुख आधार हैं. ब्रह्माकुमारीज़ रीवा सब ज़ोन के संयोजक बीके प्रकाश भाई ने दुआओं और शुभभावनाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दूसरों के प्रति सम्मान और सकारात्मक सोच ही जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक पूंजी है. डिप्टी कलेक्टर रश्मि चतुर्वेदी ने कहा कि आध्यात्मिकता व्यक्ति को मानसिक रूप से सशक्त बनाकर तनावमुक्त एवं संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है. कार्यक्रम में बीके खुशबू दीदी, बीके सुभाष भाई, बीके रानी माता सहित ब्रह्माकुमारीज़ परिवार के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.

क्षीरधारा ग्राम योजना में शामिल गांवों में लगेंगे शिविर

रीवा, पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग द्वारा दुधारू पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए क्षीरधारा ग्राम योजना लागू की गई है. इस योजना में रीवा जिले के 58 गांव शामिल हैं. इन गावों में पशुपालकों को जागरूक करने के लिए शिविर 4 जुलाई से 31 जुलाई तक लगाए जाएंगे. शिविरों में पशुओं का टीकाकरण, बीमार पशुओं का उपचार तथा बांझपन का उपचार किया जाएगा. उप संचालक पशुपालन योगेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि शिविरों के लिए नोडल पशु चिकित्सा अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं. शिविर 4 जुलाई को गंगेव विकासखण्ड के जरहा, जवा विकासखण्ड के अतरैला में लगेगा.

नगर के हृदय स्थल वार्ड क्रमांक 9 में लगा गंदगी का अंबार

नवभारत न्यूज

हनुमना, 3 जुलाई, हनुमना नगर का हृदयस्थली कहा जाने वाला वार्ड क्रमांक 9 वर्षों से गंदगी के साम्राज्य की मार झेलते हुए अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है फिर चाहे वह हनुमान मंदिर की ओर जाने वाला केनवा तालाब मार्ग हो जहां नगर परिषद के सफाई कर्मचारी भी नगर की गंदगी ले जाकर डाल देते हैं.

ऊपर से सुअरों एवं आवारा पशुओं के झुंड उस गंदगी को और फैला देते हैं. जिससे लोगों का जीना हराम हो जाता है दूसरी ओर वार्ड 9मे ही मन्तेलाल वाली गली में दोनों तरफ के कुछ लोगों के शौचायलयों की गंदगी तथा कूड़े आदि के चलते दिन भर सुअरों के झुंड की धमा चौकड़ी तथा लोगों के पेशाब आदि का अड्डा बन जाने के चलते उस गाली के बाजू की सड़क से भी निकलना दुभर हो गया है आसपास इतनी तेज बदबू कि लोग नाक में रुमाल लगाकर उधर से किसी कदर निकल पाते हैं. वहीं सीधी रोड से लगे हुए उस गली में स्थित विट्ठलनाथ की दुकान तथा ओपी चश्मा वाले, केशव गुप्ता आदि लोगों के परिवारों का जीना दूभर हो गया है.

इन घरों के लोग विभिन्न संक्रामक बीमारियों के चलते आए दिन हॉस्पिटल की शरण लेने को मजबूर होते हैं वार्ड पार्षद अखिलेश गुप्ता की माने तो उनके द्वारा कई बार नगर परिषद की बैठक में एवं व्यक्तिगत भी एप्लीकेशन देकर इस गली की साफ सफाई के आवेदन किए गए लेकिन नगर परिषद प्रशासन सुनने को तैयार नहीं. इसी वर्ष मोदी जी के जन्मदिन पर नगर में चलाए गए स्वच्छता अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमना में सांसद जनार्दन मिश्रा की अगुवाई में स्वच्छता अभियान की खानापूर्ति कर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सांसद श्री मिश्रा जब मन्तेलाल वाली गली से गुजर रहे थे उसकी गंदगी के चलते दूर से आती बदबू के चलते नाक में रुमाल लगाते हुए नजदीक पहुंचे तो भौंचक्के रह गए कि नगर के हृदय स्थल में इतनी बड़ी गंदगी है.

लापरवाह नगर परिषद के तीन कर्मचारी हटाए गए

नवभारत न्यूज

चाकघाट, 3 जुलाई, नगर परिषद चाकघाट क्षेत्र की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी शंखधर पांडे द्वारा अपने कार्यों के प्रति लापरवाही करने वाले तीन कर्मचारीयों को सेवा से बाहर कर दिया गया है.

प्राप्त जानकारी में बताया गया है कि राजस्व विभाग में कार्य करने वाली श्रीमती पुष्पांजलि पटेल, सफाई दरोगा सौरभ सिंह एवं फायरमैन अशोक यादव को परिषद द्वारा सौंप गए दायित्व में की जा रही लापरवाही के कारण सेवा से पृथक कर दिया गया है. मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया है कि नगर परिषद में तैनात कर्मचारीयों के द्वारा प्रशासनिक दायित्व एवं नागरिकों की सुविधा के लिए सौपे गए दायित्व के प्रति आगे भी लापरवाही बरते जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी. मध्य प्रदेश शासन एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में अनेक योजनाएं लागू की गई है जिसका पात्र हितग्राहियों के द्वारा समुचित लाभ लिया जाना चाहिए. वर्तमान में नगर में नाली की समस्या समाधान हेतु कार्य प्रारंभ किया गया है जो प्रगति पर है.

चाकघाट नगर के लिए हनुमान मंदिर से लगे विशाल पार्क है का निर्माण कराया गया है जिसे शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा. मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने चर्चा में बताया है कि नगर परिषद का काम जनहित के लिए सेवा देना है. कार्यों के प्रति लापरवाही करने वाली किसी भी कर्मचारी की शिकायत करने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी.

नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर में 38 मरीजों का हुआ स्वास्थ परीक्षण

नवभारत न्यूज

गुढ़, 3 जुलाई, इंजी. संजय गुप्ता की याद में गठित समिति संजय गुप्ता स्मृति सेवा संस्थान गुढ़ द्वारा माह की प्रत्येक तीन तारीख को नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व उपलब्ध दवाइयों का नि:शुल्क वितरण किया जाता है.

इसी तारतम्य में 31वाँ नि:शुल्क शिविर 03 जुलाई दिन

शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद क्लीनिक गुढ़ में 38 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण, जांच और नि:शुल्क दवाईयों का वितरण किया गया. स्वास्थ्य परीक्षण डॉ. बृजेश कुमार गुप्ता, डॉ. आरती गुप्ता,डॉ. आकांक्षा गुप्ता एवं डॉ.साक्षी गुप्ता द्वारा किया गया. अगला नि:शुल्क शिविर 03 अगस्त 26 को आयोजित किया जाएगा. गौरतलब है कि शिविर में पहुंचकर लोग जांच उपरांत दवाईयां भी प्राप्त करते है.

प्रतिबंध के बाद भी प्लास्टिक मुक्त नहीं हो पाया देश : सरयू प्रसाद

नवभारत न्यूज

हनुमना, 3 जुलाई, देश में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध के चार साल बाद भी जमीनी हकीकत नहीं बदली. कड़े नियमों और भारी जुर्माने के बावजूद बाजारों में धड़ल्ले से पॉलीथिन और प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री जारी है.

प्रशासन की लापरवाही और जन-जागरूकता की कमी के कारण यह सरकारी मुहिम पूरी तरह बेअसर साबित हो रही है. विशेष कर मध्य

प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के मऊगंज रीवा सतना सीधी सिंगरौली आदि में आज भी बहुतायत मात्रा में सिंगल उसे प्लास्टिक का उपयोग काफी मात्रा में हो रहा है अगर इस पर तत्काल प्रशासनिक स्तर पर सख्त कदम उठाते हुए प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो विंध्य क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय मूलभूत समस्या बन जाएगी. उपरोक्त बातें विंध्य में जनसंघ के संस्थापक तथा लोकतंत्र सेनानी प्रख्यात नाड़ी विशेषज्ञ वरिष्ठ भाजपा नेता सरयू प्रसाद वैद्य ने सिंगल उसे प्लास्टिक के चलते समूचे विंध्य में पर्यावरण को नुकसान से चिंतित होकर कही है. श्री वैद्य ने कहा कि इस पर सख्त कार्यवाही कर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिये.

शिवमधर द्विवेदी पटवारी संघ हनुमना के बने अध्यक्ष

मऊगंज, 3 जुलाई, पटवारी संघ हनुमना के अध्यक्ष शैलेश पाण्डेय का मऊगंज स्थानान्तरण हो जाने के कारण संघ की कार्यकारिणी द्वारा शिवमधर द्विवेदी को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है. पूर्व अध्यक्ष शैलेश पाण्डेय को मऊगंज तहसील में नई जिम्मेदारी दी गई है. पटवारी संघ हनुमना का तहसील अध्यक्ष पद रिक्त होने पर सर्वसम्मति से शिवमधर द्विवेदी को अध्यक्ष और मोनिका साहा को उपाध्यक्ष बनाया गया है. अध्यक्ष बनाये जाने पर बधाई दी गई है.

नालियों की सफाई न होने से बारिश में घरों में घुसेगा पानी

नवभारत न्यज

हनुमना, 3 जुलाई, मऊगंज जिले की हनुमना नगर परिषद का अपनी करतूत के लिए आए दिन सुर्ख़ियां में आते रहना स्वाभाविक बात है.

लेकिन जब बरसात सामने है और वार्ड क्रमांक 10 के निवासियों की माने तो दो वर्षों से वार्ड 10 के सीधी रोड की नाली की सफाई नहीं की गई है जिसके चलते बजबजाती नालियों के कीड़े जहां घरों के अंदर घुसना संक्रामक बीमारियां स्वाभाविक है लेकिन अब जबकि बरसात सामने है नालिया पटी हुई है थोड़ी सी भी तेज बारिश हुई तो नाली का गंदा पानी घरों के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता. वार्ड क्रमांक 10 के निवासी परशुराम गुप्ता कहते हैं कि हम लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है बार-बार शिकायत के बावजूद नगर परिषद प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है.

कन्हैया नामदेव कहते हैं कि 2 वर्षों से हम लोगों के नाली की सफाई नहीं हुई जिसके वजह से नाली जाम है तथा नाली से बड़े-बड़े कीड़े घरों के अंदर घुसते हैं संक्रामक बीमारियां फैल रही है अगर तत्काल नाली की सफाई नहीं की गई तो बारिश सामने है और थोड़ी भी बारिश लोगों के जीवन को अस्तब्यस्त कर देगी. हजारी गुप्ता कहते हैं कि अगर नाली साफ ना हुई तो हम लोगों के घरों में नाली का पानी तो घुसेगा ही घर में रहना दुश्वार हो जाएगा.

अत: कलेक्टर मऊगंज का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि तत्काल वार्ड क्रमांक 10 की नली की सफाई कराई जाए. गौरतलब है कि इसके अलावा कई ऐसे अन्य वार्ड भी है जहा अभी तक नालियों की सफाई नही कराई गई. जिससे बारिश में परेशानियां उठानी पड़ेगी.

रीवा-सीधी हाईवे मुआवजे को लेकर सांसद-विधायक से मिले किसान

नवभारत न्यूज

गुढ़, 3 जुलाई, रीवा-सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित किए जा रहे मुआवजे को लेकर प्रभावित किसानों में असंतोष लगातार गहराता जा रहा है.

गुढ़ तहसील के महसांव, पुराष, खाम-खड्डा, रीठी, उमरी सहित आसपास के कई ग्राम पंचायतों के सैकड़ों किसान अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह एवं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा से मिले. किसानों ने ज्ञापन सौंपकर मुआवजा निर्धारण प्रक्रिया में कथित विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए न्यायसंगत मुआवजा दिलाने की मांग की. ज्ञापन सौंपने के दौरान किसानों ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि का मूल्यांकन वास्तविक बाजार दरों के अनुरूप नहीं किया गया है. उनका आरोप है कि भूमि का कम मूल्यांकन होने के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. किसानों का कहना था कि वर्षों की मेहनत से अर्जित उनकी कृषि भूमि का उचित मूल्य नहीं मिलने से वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

किसानों ने मांग की कि प्रभावित भूमि का निष्पक्ष सर्वे कराया जाए तथा शासन की निर्धारित गाइडलाइन और प्रचलित बाजार दरों के अनुरूप मुआवजा तय किया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे. रीवा-सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना का मुआवजा विवाद अब राजनीतिक चर्चाओं का विषय बनता जा रहा है.

प्रभावित किसानों का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं, न्यायसंगत कार्रवाई चाहिए.

जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन पर जल संरक्षण का दिया संदेश

नवभारत न्यूज

मऊगंज, 3 जुलाई, जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड मऊगंज जिला मऊगंज द्वारा लोहदनाथ तालाब परिसर मऊगंज में कार्यक्रम का आयोजन कर जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन एवं तालाब व बावड़ी पूजन किया गया.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वंशगोपाल तिवारी सांसद प्रतिनिधि एवं जिला उपाध्यक्ष भाजपा जिला मऊगंज, कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय चतुर्वेदी विकासखंड समन्वयक मऊगंज

एवं विशिष्ट अतिथि मोहन दुबे सामाजिक कार्यकर्ता व जानी-मानी राष्ट्रीय लोक गायिका राखी द्विवेदी रही. कार्यक्रम का संचालन श्रीनिवास त्रिपाठी नवाकुर संस्था प्रमुख ग्राम विकास सेवा समिति मऊगंज द्वारा किया गया.

उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि ने लौंहदानाथ परिसर में तालाब का पूजन किया और जल गंगा संवर्धन अभियान पानी रोकने का अभियान बताया तथा प्रदेश में इस अभियान से जुड़कर कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सीएम सी एल डीपी के छात्र-छात्राओं व जन अभियान परिषद को धन्यवाद दिया.

कार्यक्रम में जन अभियान परिषद के विकासखंड समन्वयक अजय चतुर्वेदी, नगर विकास प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी, सचिव स्नेह लता मिश्रा, संतोष अवधिया, साधना चौरसिया, पूजा मिश्रा, रूपा कुशवाहा, साक्षी मिश्रा तथा सामाजिक कार्यकर्ता शिव शंकर श्रीवास्तव,अखिलेश पाण्डेय आदि मौजूद रहे.

प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए किसानों से जिला प्रशासन एवं डालमिया सीमेंट ने चर्चा की

नवभारत न्यूज

सतना 3 जुलाई,किसानों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और डालमिया सीमेंट के प्रतिनिधियों ने यमुना और शासनकाल रामपुर बघेलान में एक संवादपरक बैठक में भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य कंपनी की प्रस्तावित लाइमस्टोन खनन परियोजना के लिए वार्षिक सतह मुआवजा (एएससी) ढांचे के कार्यान्वयन पर चर्चा करना था।

यह बैठक चल रही हितधारकों से जुड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य खनन लीज़, भूमि स्वामित्व और मुआवजे को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह चर्चा इस वर्ष की शुरुआत में हुए पिछले परामर्शों के बाद आयोजित की गई है। इसने किसानों को वैधानिक ढांचे के तहत उपलब्ध कानूनी प्रावधानों, मुआवजा प्रणाली और सुरक्षा उपायों पर स्पष्टीकरण मांगने का अवसर प्रदान किया। सभा को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 24, और खनिज रियायत नियम, 2016 के नियम 52 और 53 के तहत, भारत सरकार ने वार्षिक सतह मुआवजे के माध्यम से खनन भूमि तक पहुँच को आसान बनाने का एक ढांचा तैयार किया है। यह ढांचा खनिज विकास को सक्षम बनाता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि भूमि का स्वामित्व किसान के पास ही बना रहे।यह भी समझाया गया कि भूमि की सीधी खरीद के विपरीत, एएससी ढांचा भूमि स्वामियों को अपनी भूमि पर मालिकाना हक बनाए रखने की अनुमति देता है, जबकि उन्हें खनन पट्टा अवधि के दौरान इसके उपयोग के लिए वार्षिक मुआवजा मिलता रहता है। इस ढांचे को एक पारदर्शी, वैधानिक और न्यायसंगत व्यवस्था प्रदान करके औद्योगिक विकास के साथ-साथ भूमि स्वामियों के हितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बैठक के दौरान साझा किए गए सांकेतिक अनुमानों के अनुसार, इस ढांचे के तहत भाग लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ लगभग ?93,000 का वार्षिक मुआवजा मिल सकता है जो हर साल 5त्न से 7त्न तक बढ़ेगा, जबकि इसकी तुलना में औसत कृषि आय लगभग 25,000-30,000 प्रति एकड़ है। इसके साथ ही, लीज़ अवधि के दौरान अपनी भूमि पर उनका मालिकाना हक भी लगातार बना रहेगा।

अधिकारियों ने रेखांकित किया कि इस ढांचे के मुख्य उद्देश्य हैं-

खनन पट्टा अवधि के दौरान भूमि का मालिकाना हक किसानों के पास सुरक्षित रखना। वैधानिक मुआवजे के माध्यम से एक स्थिर और अनुमानित वार्षिक आय प्रदान करना। भूमि के अस्थायी उपयोग के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना। भूमि तक पहुँच के लिए एक पारदर्शी कानूनी ढांचा तैयार करके विवादों को कम करना। परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन को सुगम बनाना, जिससे क्षेत्र में निवेश, रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।

दोहरे पद पर कार्यरत शिक्षिका के विरुद्ध कार्यवाही ठंडे बस्ते में

नवभारत न्यूज

हनुमना, 3 जुलाई, मऊगंज जिले के हनुमना ब्लाक के ग्राम सगहन से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां एक ही व्यक्ति उचित मूल्य की दुकान का सेल्समेन रहते हुए पूरे वर्ष भर विगत सत्र में अतिथि शिक्षक भी रहा और पूरे सत्र का वेतन उठता रहा.

वहीं वर्ष 2026-27 में भी पूरा अतिथि शिक्षक बनकर वेतन लेना चाहता है आखिर यह अन्याय कब तक चलेगा. मऊगंज कलेक्टर संजय जैन से मांग है कि तत्काल कार्यवाही कर ऐसे अतिथि शिक्षक के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाय.

उल्लेखनीय है कि कीर्ति मिश्रा उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 2505124 में वर्तमान में सेल्समैन (कोटेदार) के पद पर पदस्थ हैं. इसके साथ ही उनके द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सगहन खुर्द में अतिथि शिक्षक के पद पर भी जॉइनिंग की जा रही है. पिछले वर्ष भी इनके द्वारा एक साथ दोनों पदों पर कार्य किया गया एवं दोनों स्थानों से वेतन प्राप्त किया गया, जो नियमानुसार अनुचित है.

हनुमना सोलर प्लांट प्रकरण : मे. ओम एंटरप्राइजेज के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

नवभारत न्यूज

रीवा 3 जुलाई, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा हनुमना स्थित 02 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र में विद्युत वितरण कंपनियों की सामग्री के संभावित दुरुपयोग के प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए मै. ओम एंटरप्राइजेज के विरुद्ध थाना हनुमना, जिला मऊगंज में दिनांक 03.07.2026 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई गई है।

उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में पूर्व में प्राप्त शिकायत के आधार पर मुख्य अभियंता (प्रवर्तन), रीवा द्वारा गठित जांच समिति ने विस्तृत जांच की थी। जांच के दौरान कार्यालय कार्यपालन अभियंता (एस.टी.एम.-एस.टी.सी.), संभाग सीधी में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता श्री रंजीत कुमार साहू की प्रथम दृष्टया संभावित संलिप्तता पाए जाने पर कंपनी प्रबंधन द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि संबंधित 02 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के विद्युत संयोजन एवं लाइन विस्तार का कार्य मै. ओम एंटरप्राइजेज, जिसकी प्रोपराइटर श्रीमती ममता कुमारी पति श्री रंजीत कुमार साहू हैं, द्वारा किया गया था। जांच में स्थापित उपकरणों एवं सामग्री के परीक्षण के दौरान कुछ विद्युत उपकरणों पर मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का नाम अंकित पाया गया, जबकि कंट्रोल केबल पर मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का उल्लेख प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त वीसीबी की नेम प्लेट पर क्रेता संबंधी विवरण मिटा हुआ पाया गया, जिसके संबंध में संबंधित कंपनियों से अभिलेखीय सत्यापन कराया गया। जांच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कंपनी द्वारा थाना हनुमना में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर एफआईआर क्रमांक 0306/2026 दिनांक 03 जुलाई 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), 2023 की धारा 303(2) के अंतर्गत मै. ओम एंटरप्राइजेज की प्रोपराइटर श्रीमती ममता कुमारी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।